



## कार्यालय मुख्य आयुक्त

Office of the Chief Commissioner  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**  
**(Cadre Control Unit)**

### स्थापना आदेश संख्या: CCU- 89/2025

इस कार्यालय द्वारा जारी स्थापना आदेश सं. CCU-08/2025 दिनांक 03.01.2025 में आंशिक समायोजन करते हुए वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1	Chiranjeevi Meena, Assistant Commissioner	15.07.1966	31.07.1966	CGST Division, Moti Dungri, Jaipur
2	Meena Babulal, Assistant Commissioner	28.07.1966	31.07.2026	CGST Division, Abu-Road
3	Sagar Prakash Tanwar, Assistant Commissioner	18.10. 1966	31.10.2026	CGST Division, MI Road, Jaipur
4	Srikala S., Superintendent	27.10.1966	31.10.2026	On Deputation to DGGI, Kochi

नोट : वर्तमान में लागू सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारी / कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है। अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की जन्मतिथि का सेवा-पुस्तिका से मिलान करना सुनिश्चित करें और यदि कोई त्रुटि हो तो सूचित करने का श्रम करें।

Digitally signed by  
**NISHTHA SHARMA**  
Date: 28-11-2025  
17:31:05  
(निष्ठा शर्मा)  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर/संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/ अंकेक्षण-जयपुर/ अंकेक्षण-जोधपुर/ अपील्स-जयपुर /अपील्स-जोधपुर/सीमा शुल्क (मु), जयपुर/ सीमा शुल्क-जोधपुर / डी.जी.जी.आई., कोची।
2. अधीक्षक(सतर्कता / प्रशासन), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. वेब मास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी प्रति / निजी पत्रावली / गार्ड फाइल / सर्विस बुक / नोटिस बोर्ड / वरीयता सूची।



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
**Office of the Chief Commissioner**  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**  
**(Cadre Control Unit)**

---

**शुद्धिपत्र**

इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या सीसीयू-89/2025 दिनांक 28.11.2025 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए यह सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रम सं. 1 के कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित/प्रदर्शित सेवानिवृत्ति की तिथि को "31.07.1966" के स्थान पर "31.07.2026" पढ़ा जाये। स्थापना आदेश संख्या सीसीयू-89/2025 दिनांक 28.11.2025 का अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेगा।

Digitally signed by  
**NISHTHA SHARMA**  
Date: 03-12-2025  
10:59:53

(निष्ठा शर्मा)  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर/संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/ अंकेक्षण-जयपुर/ अंकेक्षण-जोधपुर/ अपील्स-जयपुर/अपील्स-जोधपुर/सीमा शुल्क (मु), जयपुर/ सीमा शुल्क-जोधपुर / डी.जी.जी.आई., कोची।
2. अधीक्षक(सतर्कता / प्रशासन), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. वेब मास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी प्रति / निजी पत्रावली / गार्ड फाइल / सर्विस बुक / नोटिस बोर्ड / वरीयता सूची।